न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 03/2023

तिजा देवी पत्नी सादुराम निवासी वार्ड नं. 5 गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलार्थी

बनाम

1. कुलदीप पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी जमाल नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी जिला सिरसा।
2. विकास पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी जमाल नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी जिला सिरसा।
3. भारती पुत्री हनुमान प्रसाद निवासी जमाल नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी जिला सिरसा।
4. सावित्री पत्नी हनुमान प्रसाद निवासी जमाल नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी जिला सिरसा।
5. मोहिनी पत्नी गंगाराम हाल निवासी वार्ड नं. 5 गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

उपस्थितः– श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील–अपीलार्थी

श्री नत्थुराम शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4

श्री रोहिताश नाई वकील रेस्पोडेन्ट सं. 5

निर्णय दिनांक– 25/6/2024

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.12.2023 को विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट जरिये वकील पेश किया गया कि ग्राम गन्धेली बारानी के खाता सं. 498 के प.नं. 55/5(511) कि.नं. 13 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 24 की 12 किला अर्थात 2.984 है. खातेदारी कृषि भूमि हनुमान प्रसाद पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी गन्धेली की कृषि भूमि स्थित थी, जो उनके जीवनकाल में उनके स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही थी। स्व. गंगाराम गांव गन्धेली में अपीलार्थी द्वारा ही उनकी सेवा चाकरी की जाती थी और बीकानेर मे इलाज के दौरान में ही दिनांक 11.06. 2018 को उनका देहान्त हो चुका है। स्व. हनुमान प्रसाद ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपनी ग्राम गन्धेली में स्थित कृषि भूमि की वसीयत रोबरू गवाहान दिनांक 25.02.1997 को अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित करवाई थी और हनुमान प्रसाद की मृत्यु के पश्चात उनकी ऊपर वर्णित कृषि भूमि अपीलार्थी को जरिये वसीयत प्राप्त हुई, जिस पर अपीलार्थी हनुमान प्रसाद की मृत्यु के पश्चात हर आम व खास की जानकारी के काबिज चली आ रही है। अपीलार्थी ने वर्तमान अपनी उपरोक्त वसीयत से प्राप्तशुदा भूमि पर सरसो की फसल काश्त की हुई है। अपीलार्थी ने हनुमान प्रसाद की मृत्यु के पश्चात वसीयतशुदा कृषि भूमि का नामा[illegible]ने पक्ष में दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा अपीलार्थी के आ[illegible] के पश्चात हर आम व खास के नाम समाचार पत्र में आपती प्रकाशित की व अपीलार्थी व गवाहान के ब्यान दर्ज किए जाकर पत्रावली उनके आवेदन हेतु निश्चित की [illegible], परन्तु तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 15:50:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

राजस्व रावतसर द्वारा अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्तताओ के चलते अपीलार्थी की पत्रावली में सुनवाई नही हो सकी और पत्रावली में आगामी तारीख पेशीया नियत की गई। हनुमान प्रसाद की ग्राम गन्धेली में स्थित खातेदारी भूमि उनकी खरीदशुदा पैदाकर्ता भूमि थी। प्रत्यर्थीगण को हनुमान प्रसाद द्वारा निष्पादित वसीयत का सदैव से ज्ञान रहा है। बावजुद इसके प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी की वसीयतशुदा कृषि भूमि हड़प करने के उदेश्य से तहसीलदार राजस्व नाथूसरी चौपटा के पास उन्हें सही तथ्यो से अवगत करवाए बगैर वारीस प्रमाण–पत्र जारी करवा उसे तहसीलदार राजस्व रावतसर के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इंतकाल दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र व कार्यवाही से नजर अंदाज रखते हुए मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम इंतकाल दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा बिना समुचित जांच–पड़ताल के किए दिनांक 08.08.2023 को अपीलार्थी को हनुमान प्रसाद की वसीयत से प्राप्तशुदा मु0नं0 55/5 के मुरब्बा नं. 511 के किला नं0 13 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 24 की भूमि का नामान्तकरण दर्ज किया गया है, जिसको अपीलार्थी निरस्त करवा अपने नाम वसीयत दिनांकित 25.02.1997 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। दिनांक 20.01.2023 को अपीलार्थी अपनी वसीयत से प्राप्तशुदा भूमि पर भी तभी प्रत्यर्थीगण वहां आए और धमकी दी कि हमने राजस्व अधिकारियों से साठ–गांठ कर तुम्हारी वसीयत के बावजुद भूमि का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया है और शीघ्र ही अपीलार्थी को बल पूर्वक बेकब्जा कर देगें और भूमि को अन्यत्र रहन, बैय, मुन्तकिल कर देगें यदि प्रत्यर्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो गए तो अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी और कभी ना पूरा होने वाला नुकशान होगा, इसलिए अपीलार्थी प्रत्यर्थीगण को पाबंद करा स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने की अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि गांव गन्धेली बारानी पटवार हल्का लालपुरा में स्थित है व विवादित इंतकाल भी तहसीलदार राजस्व द्वारा कब्जा रावतसर में दर्ज किया गया है। अतः अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार अपील पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के नाम दिनांक 08.08.2023 को स्व. हनुमान प्रसाद की गांव गन्धेली बारानी पटवार मण्डल लालपुरा के खाता सं0 498 के प0नं0 55/5 मु0नं0 511 के किला नं. 13 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 24 का इंतकाल निरस्त किया जाकर वसीयत दिनांक के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामान्तकरण दर्ज किए जाने का आदेश फरमावें।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर [illegible] रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.01.2024 रेस्पोडेन्ट [illegible] 1 ता [illegible] की तरफ से वकील श्री नत्थुराम शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 16.05.[illegible] को रेस्पोडेन्ट सं. 5 ने जरिये वकील श्री रोहिताश नाई उपस्थित आकर जबाब अपील पेश किया। अपने जबाब में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 15:50:10 IST
Reason: SelfAttested

Sanja
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की समस्त मदों को स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि हनुमान प्रसाद पुत्र गंगाराम की खरीदशुदा स्वअर्जित भूमि थी। हनुमानप्रसाद की सेवा चाकरी अपीलार्थीया करती थी। जिस कारण हनुमान प्रसाद ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपनी ग्राम गन्धेली में स्थित कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 25.02.1997 को अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित करवाई थी। हनुमानप्रसाद दिनांक 11.06.2018 को फोत हो चुका है। अपीलार्थी ने हनुमान प्रसाद की मृत्यु के पश्चात वसीयतशुदा कृषि भूमि का नामान्तकरण अपने पक्ष में दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार राजस्व रावतसर के न्यायालय में आवेदन किया जो विचाराधीन चली आ रही थी इसी दौरान रेस्पोडेन्ट ने मृतक हनुमानप्रसाद की भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपने पक्ष में करवा लिया। जो गलत दर्ज हुआ है जिसे निरस्त फरमाया जावे। अपीलार्थी ने दौराने बहस न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 14.06.2017 पेज नम्बर 382 Ganpat lal & ors. vs Yuvraj Singh & ors. निर्णय 12.04.2017 व आर.आर.टी. 2018 पेज नम्बर 801 Prahlad Shankarrao Tajale & ors. Vs State of Maharastra throught its secretary & Anr. पेश किये।

दूसरी तरफ रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत सदिंग्ध एवं फर्जी है क्योंकि हनुमानप्रसाद ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नहीं करवाई थी। तहसीलदार रावतसर ने सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर हम रेस्पोडेन्ट के पक्ष में विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया है जो सही है क्योंकि हनुमानप्रसाद के हम रेस्पोडेन्ट विधिक वारीस है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद नहीं है तथा ना ही अपीलार्थी ने मियाद में संबंध में मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अपील में प्रस्तुत किया है। इसलिये अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि विवादित भूमि हनुमानप्रसाद पुत्र गंगाराम के नाम की खातेदारी भूमि थी। हनुमानप्रसाद ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में 25.02.1997 को एक वसीयत निस्पादित करवाई थी। हनुमानप्रसाद की मृत्यु दिनांक 11.06.2018 हो चुकी है जिसके बाद अपीलार्थी ने तहसीलदार रावतसर के न्यायालय में वसीयत के आधार पर नामान्तकरण करवाने हेतु आवेदन किया जो विचाराधीन [illegible] दौरान रेस्पोडेन्ट ने हनुमान प्रसाद के नाम की भूमि का विरास्तन [illegible] दर्ज करवा लिया जो गलत दर्ज हुआ है क्योंकि अपीलार्थी की [illegible] की पत्रावली का निस्तारण नहीं हुआ है। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 14.06.201[illegible] [illegible]ज नम्बर 382 Ganpat lal & ors. vs Yuvraj Singh & ors. –(81) Appeal No. 6081/Jaipur of 2016, Decided on 12.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 15:50:10 IST
Reason: SelfAttested

04.2017 के अनुसार "मियाद के तकनिकी आधार पर किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता–अपीलीय न्यायालय को मियाद के बिन्दू पर खारिज न कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णीत करना चाहिए–प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।" उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि के आधार पर अपील अपीलान्ट आशिंक स्वीकार की जाती है तथा गन्धेली बारानी के खाता सं. 498 के प.नं. 55/5(511) कि.नं. 13 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 24 की 2.984 है. भूमि के दिनांक 08.08.2023 को हुए विरास्तन इन्तकाल को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रावतसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार रावतसर विवादित भूमि पुनः हनुमानप्रसाद पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज करते हुए वसीयत की पत्रावली का निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 25/6/2024 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 15:30:10 IST
Reason: SelfAttested